नम्बर अहका हुक्म में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी

अमरसिह वगै. ।।बनाम।। आशा वगै.

प्रकरण संख्या 47/2015 (212आर.टी.ए.)

निर्णय दिनांक :– 04.08.2022

।।आदेश।।

पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रा.पत्र में दर्शित सजरे अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में 1/8 हक हिस्सा दर्ज है। स्व. उदयसिंह जो प्रार्थीगण के भाई थे जिनका निधन हो चुका है जिनकी पत्नी अप्रार्थी श्रीमती आशा का 1/8 हक हिस्सा दर्ज है। श्रीमती पदमा जो प्रार्थीगण की बहन है का 1/8 हिस्सा दर्ज है। श्री शिवसिंह एवं श्री गिरधारीसिंह जी संयुक्त 1/2 हक हिस्सा दर्ज है व खतौनी सं. 4 की आराजीयात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी 1 व 2 का भी प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण के भाई उदयसिंह का आकस्मिक निधन दिनांक 17.12.1999 को हो जाने से उदयसिंह का विवाह अप्रार्थी सं. 01 श्रीमति आशा के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के कुछ माह बाद उदयसिंह का निधन हो जाने से अप्रार्थी आशा ससुराल में नहीं रही है। विगत कुछ 15 वर्षो से प्रार्थीगण अथवा उनके परिवार से कोई सम्पर्क नहीं रखा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उपबंधित अनुसार पुनर्विवाह कर लेने की सूरत में कोई विधवा महिला पति की सम्पति में हक अधिकार कायम रखने की अधिकारीणी नहीं रहती है। पूर्ण स्वामिनी की हैसियत समाप्त हो जाती है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद है। स्व. उदयसिंह का मृत्युपरान्त विरासत से अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने की सूरत में ही कायम रखी जा सकती है। पुनर्विवाह किये जाने से स्व. उदयसिंह के हिस्से की कृषि भूमि में उत्तराधिकारी प्रार्थीगण और अप्रार्थी सं. 2 दो निर्मित होते है। इसी अनुसार वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का मौजूद है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाना आवश्यक है। नाम पर भूमि होने से उक्त वाद ग्रस्त भूमि को हस्तांरित के प्रयास किये जा रहे है। वाद ग्रस्त भूमि अविभाजित है। विभाजन होना शेष है। इसलिये प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में क्योंकि अप्रार्थी क्र.1 ... पुनर्विवाह कर लेने से उसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। इसलिये अप्रार्थीगण को मूल वाद में निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.08.16 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस में अप्रार्थी का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के तहत प्रकरण ग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं. 1 आशा के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

नियमानुसार नाम पर दर्ज होते वक्त किसी राजस्व अधिनियम या ग्राम पंचायत में कोई प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। प्रार्थीगण के भाई उदयसिंह का विवाह विपक्षी नं.1 के साथ हिन्दू उत्तराधिकार रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ है। विवाह के बाद उदयसिंह की पत्नी बनकर उदयसिंह के साथ साथ ससुराल पण्डेडा में रही लेकिन विपक्षी नं.1 के पति का देहान्त हो जाने से प्रार्थीगण के मन में जायदाद हडपने का लाभ आ जाने से जलील व परेशान करने से अप्रार्थी सं. 1 ससुराल छोडकर पीहर मे रहने लग गयी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण पर लागू होने से अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस एक मात्र विधवा पत्नी विपक्षी नं. 1 होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है तथा धारा 14 के अनुसार उक्त हक हिस्से की अधिकारी है। खातेदारी संयुक्त रूप से होने से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा संयुक्त रूप से माना जाता है। संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज होने से संयुक्त रूप से कब्जा है। अप्रार्थी नं.1 अपना भविष्य को सुधारने के लिये दूसरा विवाह किया जो हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार वैद्य है। उक्त विवाह करने के पूर्व व बाद में भी अपने पति स्व. उदयसिंह का हक प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारी है। मृत पति की सम्पति से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण कोई अनुतोष विपक्षी नं. 1 विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी नं.1 का हक हिस्सा उदयसिंह की मृत्यु के बाद बना है। जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार इस्टोपल के सिद्वान्त जो धारा 115 के दिया गया है विपक्षी नं. 1 का हक हिस्सा मानने से इन्कार नहीं कर सकते है प्रा.पत्र के वर्णित तथा गलत होने से स्वीकार नहीं है प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी विपक्षी नं. 1 के पक्ष के है चूंकि उदयसिंह की सम्पति में हक प्राप्त किया जो खातेदारी वैध होने से विपक्षी नं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज़ फरमाया जावे।

दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपने अपने पक्ष के संबंध नजीरे (RRT)की फोटो प्रतियां पेश की गई। वकील प्रार्थी द्वारा पेश की गई नजीरे 1.आर आर टी 2003 (1)माली राम व अन्य बनाम राधेश्याम पेज न. 516 2. आर आर टी 2004 (1)शंकरलाल व अन्य बनाम केशवलाल पेज न. 667 3.बद्री प्रसाद व अन्य बनाम चन्द्रकान्ता बाई वगै.जे. टी. 2000 (10) एस.सी.223 (2002) 9 SEC. 580 जो की इस प्रकरण में सहयोगी प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.08.16 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। बहस की रोशनी में प्रा.पत्र,जवाब प्रा.पत्र, मौका रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज का गहन अध्ययन किया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जहां तक प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी कमांक 1 को भूमि खातेदारी में दर्ज वैद्य कार्यवाही के नहीं हुई है पुनर्विवाह के लेने की सूरत में कोई विधवा महिला पति की सम्पति में हक अधिकार कायम रखने की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अधिकारिणी नहीं। व पूर्ण स्वामिनी नही है इस कथन में खण्डन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस एक मात्र विधवा पत्नी होने से नियमानुसार वैद्य कार्यवाही में ही भूमि विपक्षी नं. 1 के खातेदारी में दर्ज हुई है जो वर्तमान में भी सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं. 1 में खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2017 REVENUE पेज नं. 201 की प्रति में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ACT 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात विधवा के पुनर्विवाह कर लेने पर उसको सम्पति के हक व अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है।जो इस प्रकरण पर पुर्णतया चस्पा होती है इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिगण के प्रार्थी पक्ष मे नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष नहीं चूंकि उक्त भूमि के कब्जे के संबंध में तहसीलदार बडीसादडी की प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार स्वंय विपक्षी नं. 1 आशा स्वंय उपस्थित बताई गई व भूमि ठेका पर देने पर बात अंकित की गई जिससे यह साबित है। विपक्षी नं. 1 का कब्जा प्रकरण ग्रस्त आराजी पर है। वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि विपक्षी नं. 1 के कब्जे में है। इन परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार काश्तकार होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एक सकृषक दूसरे सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थी तीनों ही तात्विक बिन्दु साबित करने में असफल रहने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत) RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.08.16 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner